रजिस्ट्री सं. डी एल—33001/92

REGISTERED NO. DL-33001/92

सत्यमेव जयते

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 20] नई दिल्ली, शनिवार, मई 16, 1992 (वैसाख 26, 1914)

No. 20] NEW DELHI, SATURDAY, MAY 16, 1992 (VAISAKHA 26, 1914)

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके

(Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation)

भाग III—खण्ड 4

[PART—III SECTION 4]

सांविधिक निकायों द्वारा जारी की गई विविध अधिसूचनाएं जिसमें कि आदेश, विज्ञापन और सूचनाएं सम्मिलित हैं

[Miscellaneous Notifications including Notifications, Orders, Advertisements and Notices issued by Statutory Bodies]

भारतीय रिज़र्व बैंक

औद्योगिक और निर्यात ऋण विभाग

केन्द्रीय कार्यालय

बम्बई–400023, दिनांक 23 अप्रैल 1992

अनुबंध 'क'

अधिसूचना औ० नि० ऋण विभाग/4/87(सी पी०) 91/92 दिनांक 20 दिसम्बर 1991 के भारत के राजपत्र भाग III खण्ड 4 सं 5 दिनांक 1–2–92 में प्रकाशित हिन्दी पाठ में पायी गयी मुद्रण की त्रुटियां

क्रम सं०	पृष्ठ संख्या	पैरा	अनुसूची	त्रुटी	सुधार
1	2	3	4	5	6
1.	145	शीर्ष	—	रिजर्व	रिज़र्व
2.	145	1 दूसरी पंक्ति	—	रिजर्व	रिज़र्व
3.	145	1 चौथी पंक्ति	—	रिजर्व	रिज़र्व
4.	145	2(iv) पहली पंक्ति	—	रिजर्व	रिज़र्व
5.	145	2(iv) सातवीं पंक्ति	—	रिजर्व	रिज़र्व
6.	145	2(iv) आठवीं पंक्ति	—	रिजर्व	रिज़र्व

यूको बैंक

कार्मिक विभाग

कलकत्ता, दिनांक 24 अप्रैल, 1992

सं० ओ० एस० आर /1/1992—बैंककारी कम्पनी (उपक्रमों का अधिग्रहण और अंतरण) अधिनियम, 1970 (1970 का 5) की धारा 19 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यूको बैंक का निदेशक मंडल, भारतीय रिज़र्व बैंक के परामर्श से और केन्द्रीय सरकार के पूर्वानुमोदन से यूको बैंक (अधिकारी) सेवा विनियम, 1979 में और आगे संशोधन करने के लिए एतद्द्वारा निम्नलिखित विनियम बनाता है ।

2. संक्षिप्त शीर्षक और प्रारम्भ : (1) इन विनियमों का नाम यूको बैंक (अधिकारी) सेवा संशोधन विनियम 1992 होगा ।

(2) ये विनियम भारत के राजपत्र में प्रकाशित होने की तारीख से लागू होंगे ।

3 यूको बैंक (अधिकारी) सेवा विनियम, 1979 में :—

(i) सेवा विखंडन भत्ता से संबंधित विनियम 23 के उप विनियम (viii) का संशोधित रूप इस प्रकार होगा :—

दिनांक 1-1-1990 को और उसके बाद से, यदि दिन के उसके कार्य समय में विखंडन किया जाता है और विखंडित कार्य-समय में कम से कम दो घंटे का अंतराल होता है तो उसे रु० 35 प्रतिमाह सेवा विखंडन भत्ता दिया जाएगा ।

(ii) विराम भत्ता और होटल के वास्तविक व्यय की प्रतिपूर्ति से संबंधित विनियम 41 के उप विनियम (4) का संशोधित रूप इस प्रकार होगा :—

दिनांक 1-6-1991 को और उसके बाद से नीचे दी गई सारणी के स्तम्भ-1 में वर्णित श्रेणी/वेतनमान का अधिकारी स्तम्भ-2 में वर्णित तदनुरूपी दरों से विराम भत्ता पाने का हकदार होगा :

(1)	(2)		
अधिकारियों की श्रेणी/वेतनमान	दैनिक भत्ता (रुपये)		
	प्रमुख 'ए' श्रेणी के नगर	क्षेत्र-I	अन्य स्थान
वेतनमान IV और उससे ऊपर के अधिकारी	120.00	100.00	85.00
वेतनमान I/II/III के अधिकारी	100.00	85.00	75 00

परन्तु यह कि

(क) यदि अनुपस्थिति की कुल अवधि 8 घंटे से कम किन्तु 4 घंटे से अधिक हो तो ऊपर बताई गई दरों की आधी दर से विराम भत्ता देय होगा ।

(ख) विभिन्न श्रेणियों/वेतनमानों के अधिकारियों को होटल के वास्तविक व्यय की प्रतिपूर्ति की जा सकती है जो नीचे बताई गई सीमा तक भारतीय पर्यटन विकास निगम के होटलों में एकल आवास के प्रभारों तक सीमित होगी :

भोजन खर्च (रुपये)

अधिकारियों की श्रेणी/वेतनमान	ठहरने की पात्रता	प्रमुख 'ए' श्रेणी के नगर	क्षेत्र-I	अन्य स्थान
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
वेतनमान VI और VII	4* होटल	120.00	100.00	85.00

1	2	3	4	5	6
वेतनमान IV और V		3* होटल	120.00	100.00	85.00
वेतनमान II और III		2* होटल (अवातानुकूलित)	100.00	85.00	75.00
वेतनमान I		1* होटल (अवातानुकूलित)	100.00	85.00	75.00

(ग) यदि आवास बैंक के खर्च पर उपलब्ध कराया गया है/ बैंक द्वारा निःशुल्क आवास की व्यवस्था की गई है तो विराम भत्ते का 3/4 भाग देय होगा।

(घ) यदि भोजन बैंक के खर्च पर उपलब्ध कराया गया है /बैंक द्वारा निःशुल्क भोजन की व्यवस्था की गई है तो विराम भत्ते का 1/2 भाग देय होगा।

(ङ) यदि आवास और भोजन की व्यवस्था बैंक के खर्च पर की गई है/बैंक द्वारा निःशुल्क आवास और भोजन की व्यवस्था की गई है तो विराम भत्ते का 1/4 भाग देय होगा। लेकिन यदि कोई अधिकारी भोजन के लिए किए गए वास्तविक खर्च का दावा बिल प्रस्तुत किए बिना घोषणा के आधार पर करता है तो वह विराम भत्ते का 1/4 भाग प्राप्त करने का हकदार नहीं होगा।

(च) दिनांक 1-1-1987 को और उसके बाद से सभी निरीक्षण अधिकारियों को निरीक्षण कार्य हेतु मुख्यालय से बाहर ठहराने का रु० 10 प्रतिदिन की दर से अनुपूरक दैनिक भत्ते का भुगतान किया जाएगा।

स्पष्टीकरण :

विराम भत्ते की संगणना के प्रयोजनार्थ "प्रतिदिन" से 24 घंटों की अवधि या उसका कोई पश्चातवर्ती भाग अभिप्रेत है जिसकी गणना विमान यात्रा के मामले में प्रस्थान के रिपोर्टिंग समय से और अन्य मामले में प्रस्थान के नियत समय से आगमन के वास्तविक समय तक की जाएगी। अनुपस्थिति की कुल अवधि 24 घंटों से कम होने पर "प्रतिदिन" से कम से कम 8 घंटे की अवधि अभिप्रेत है।

(iii) छुट्टी यात्रा सुविधा और साधिकार छुट्टी के नकदीकरण से संबंधित विनियम 44 के उपविनियम (ii) का संशोधित रूप इस प्रकार होगा :—

दिनांक 1-6-1991 को और उसके बाद से प्रत्येक चार वर्ष में एक बार जब कोई अधिकारी छुट्टी यात्रा सुविधा का उपभोग करता है तब उसे एक बार में एक महीने से अनधिक की साधिकार छुट्टी का अभ्यर्पण करने एवं उसका नकदीकरण करने की अनुमति दी जा सकती है। विकल्पतः उसे दो वर्ष के एक ब्लाक में स्वनगर और दूसरे ब्लाक में भारत में किसी स्थान की यात्रा करते समय प्रत्येक ब्लाक में अधिकतम 15 दिन या एक ब्लाक में 30 दिन की साधिकार छुट्टी के नकदीकरण की अनुमति दी जा सकती है। छुट्टी के नकदीकरण के प्रयोजनार्थ की अनुमति महीने में छुट्टी यात्रा सुविधा का लाभ उठाना प्रारम्भ किया जाता है उस महीने में देय सभी परिलब्धियों स्वीकार्य होंगी।

परन्तु यह कि किसी अधिकारी को स्वेच्छा से प्रधान मंत्री सहायता कोष से चंदा देने के लिए एक दिन की अतिरिक्त छुट्टी का नकदीकरण करने की अनुमति होगी पर इसके लिए उसे बैंक को इस आशय का पत्र देना होगा और बैंक को उक्त कोष में राशि प्रेषित करने के लिए प्राधिकृत करना होगा।

आर ए० बगड़िया
महाप्रबंधक (स्था०)
(कार्मिक)

कर्मचारी राज्य बीमा निगम

नई दिल्ली, दिनांक 10 अप्रैल 1992

सं० एन 15/13/14/10/90—यो० एवं वि० (2) कर्मचारी राज्य बीमा (सामान्य विनियम 1950 के विनियम 95-क के साथ पठित) कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम 1948 (1948 का 34) की धारा 46 (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों के अनुसरण में महानिदेशक ने 1-3-92 ऐसी तारीख के रूप में निश्चित की है जिससे उक्त विनियम 95-क तथा तमिलनाडु कर्मचारी राज्य बीमा निगम नियम 1954 में निर्दिष्ट चिकित्सा हितलाभ तमिलनाडु राज्य के निम्नलिखित क्षेत्रों में बीमांकित व्यक्तियों के परिवारों पर लागू किये जायेंगे।

अर्थात्

"जिला कामराजार में राजापलायम तालुक के राजस्व ग्राम मेलाराजाकुलारमन, अद्दनकुलमकोन्डन और मेलापट्टम करीसलकुलम के अन्तर्गत आने वाले क्षेत्र।"

एस० घोष,
संयुक्त बीमा आयुक्त

नई दिल्ली, दिनांक 23 अप्रैल 1992

शुद्धिपत्र

सं० बी-33(13)-10/90-स्था०-4—क्षेत्रीय बोर्ड, महाराष्ट्र के पुनर्गठन से सम्बन्धित कर्मचारी राज्य बीमा निगम की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 26-6-1991 की क्रम संख्या 6 एवं 8 पर मौजूदा प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित पढ़ा जाए :—

6. श्री बी० एन० तादवेलकर, नियोजकों के प्रतिनिधि
श्रम सलाहकार, मराठा चैम्बर आफ
कामर्स एण्ड इन्डस्ट्रिस, तिलक मार्ग,
पूना-2

8. श्री बाबा नारायणराव लम्बट, कर्मचारियों के प्रतिनिधि
संयुक्त सचिव, राष्ट्रीय मिल मजदूर संघ,
नाग रोड़, विद्यानाथ चौक,
नागपुर।

श्रीमती कुसुम प्रसाद,
महानिदेशक

श्रम मंत्रालय

केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त का कार्यालय

नई दिल्ली-110 001, दिनांक 27 अप्रैल 1992

सं. 2/1959/डी. एल. आई./एक्जाम/89/भाग-1/1604—जहां मैसर्स वि काकीनाड़ा कन्ज्यूमरस, कोप. सैण्ट्रल स्टोर लिमिटेड, काकीनाड़ा, (ए. पी./3372) ने कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) की धारा 17 की उप-धारा 2 (क) के अंतर्गत छूट के लिए आवेदन किया है (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) ।

चूंकि मैं, बी. एन. सोम, केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त इस बात से संतुष्ट हूं कि उक्त स्थापना के कर्मचारी कोई अलग अंशदान या प्रीमियम की अदायगी किए बिना जीवन बीमा के रूप में भारतीय जीवन बीमा निगम की सामूहिक बीमा स्कीम का लाभ उठा रहे हैं, जोकि ऐसे कर्मचारियों के लिए कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा स्कीम, 1976 के अन्तर्गत स्वीकार्य लाभों से अधिक अनुकूल है । (जिसे इसमें इसके पश्चात् स्कीम कहा गया है) ।

अतः उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा 2 (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा इसके साथ संलग्न अनुसूची में उल्लिखित शर्तों के अनुसार मैं, बी. एन. सोम, उक्त स्थापना की उल्लिखित पिछली तारीख से प्रभावी जिस तिथि से उक्त स्थापना को क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त विशाखापटनम ने स्कीम की धारा 28 (7) के अंतर्गत ढील प्रदान की है, 3 वर्ष की अवधि के लिए उक्त स्कीम से संचालन की छूट देता हूं । (दिनांक 1-6-90 से 31-5-93 तक) ।

अनुसूची-II

1. उक्त स्थापना के सम्बन्ध में नियोजक (जिसे इसमें इसके पश्चात् नियोजक कहा गया है।) संबंधित क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त, को ऐसी विवरणियां भेजेगा और ऐसे लेखा रखेगा तथा निरीक्षण के लिए ऐसी सुविधाएं प्रदान करेगा जो केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त, समय-समय पर निर्दिष्ट करे ।

2. नियोजक, ऐसे निरीक्षण प्रभारी का प्रत्येक मास की समाप्ति के 15 दिन के भीतर संदाय करेगा जो केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा (3-क) के खण्ड-क के अधीन समय-समय पर निर्देश करे ।

3. सामूहिक बीमा स्कीम के प्रशासन में, जिसके अंतर्गत लेखाओं का रखा जाना, विवरणियों का प्रस्तुत किया जाना, बीमा प्रीमियम का संदाय, लेखाओं का अन्तरण, निरीक्षण प्रभार का संदाय आदि भी है, होने वाले सभी व्ययों का वहन नियोजक द्वारा किया जायेगा ।

4. नियोजक, केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित सामूहिक बीमा स्कीम के नियमों की एक प्रति और जब कभी उनमें संशोधन किया जाये, तब उस संशोधन की प्रति तथा कर्मचारियों की बहुसंख्या की भाषा में उसकी मुख्य बातों का अनुवाद स्थापना के सूचना पट्ट पर प्रदर्शित करेगा ।

5. यदि कोई ऐसा कर्मचारी जो कर्मचारी भविष्य निधि का या उक्त अधिनियम के अधीन छूट किसी स्थापना की भविष्य निधि का पहले से ही सदस्य है, उसको स्थापना में नियोजित किया जाता है तो, नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के सदस्य के रूप में उसका नाम तुरन्त दर्ज करेगा और उसकी बाबत आवश्यक प्रीमियम भारतीय जीवन बीमा निगम को संदत्त करेगा ।

6. यदि उक्त स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध लाभ बढ़ाये जाते हैं तो नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध लाभों में समुचित रूप से वृद्धि किए जाने की व्यवस्था करेगा, जिससे कि कर्मचारियों के लिए सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन उपलब्ध लाभों से अधिक अनुकूल हों जो उक्त स्कीम के अधीन अनुज्ञेय है ।

7. सामूहिक बीमा स्कीम में किसी बात के होते हुए भी यदि किसी कर्मचारी की मृत्यु पर इस स्कीम के अधीन संदेय राशि उस राशि से कम है जो कर्मचारी को उस दशा में संदेय होती, जब वह उक्त स्कीम के अधीन होता तो, नियोजक कर्मचारी के विधिक वारिस/नाम निर्देशितों को प्रतिकर के रूप में दोनों राशियों के अंतर के बराबर राशि का संदाय करेगा ।

8. सामूहिक बीमा स्कीम के उपबन्धों में कोई भी संशोधन सम्बन्धित क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त के पूर्व अनुमोदन के बिना नहीं किया जायेगा और जहां किसी संशोधन से कर्मचारियों के हित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना हो, वहां क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त अपना अनुमोदन देने से पूर्व कर्मचारियों को अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करने का युक्तियुक्त अवसर देगा ।

9. यदि किसी कारणवश स्थापना के कर्मचारी भारतीय जीवन बीमा निगम की उस सामूहिक बीमा स्कीम के, जिसे स्थापना पहले अपना चुकी है, अधीन नहीं रह जाता है या इस स्कीम के अधीन कर्मचारियों को प्राप्त होने वाले लाभ किसी रीति से कम हो जाते हैं तो यह रद्द की जा सकती है ।

10. यदि किसी कारणवश नियोजक उस नियत तारीख के भीतर जो भारतीय जीवन बीमा निगम नियत करे, प्रीमियम का संदाय करने में असफल रहता है और पालिसी को व्ययगत हो जाने दिया जाता है तो छूट रद्द की जा सकती है।

11. नियोजक द्वारा प्रीमियम के संदाय में किये गये किसी व्यतिक्रम की दशा में उन मृत सदस्यों के नाम निर्देशितों या विधिक वारिसों को जो यदि यह छूट न दी गई होती तो उक्त स्कीम के अन्तर्गत होते, बीमा लाभों के संदाय का उत्तरदायित्व नियोजक पर होगा।

12. उक्त स्थापना के सम्बन्ध में नियोजक इस स्कीम के अधीन आने वाले किसी सदस्य की मृत्यु होने पर उसके हकदार नाम निर्देशितों/विधिक वारिसों की बीमाकृत राशि का संदाय तत्परता से और प्रत्येक दशा में भारतीय जीवन बीमा निगम से बीमाकृत राशि प्राप्त होने के एक माह के भीतर सुनिश्चित करेगा ।

सं. 2/1959/डी. एल. आई./एक्जाम/89/भाग-1/1612—जहां मैसर्स लमीनेटिड पैकिंगस (प्रा.) लिमिटेड, ए-1, इण्डस्ट्रीयल एस्टेट, विशाखापटनम-530007 (ए. पी./3382) ने कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) की धारा 17 की उप-धारा 2 (क) के अंतर्गत छूट विस्तार के लिए आवेदन किया है (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) ।

चूंकि मैं, बी. एन. सोम, केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त इस बात से संतुष्ट हूं कि उक्त स्थापना के कर्मचारी कोई अलग अंशदान या प्रीमियम की अदायगी किए बिना जीवन बीमा के रूप में भारतीय जीवन बीमा निगम की सामूहिक बीमा स्कीम का लाभ उठा रहे हैं, जोकि ऐसे कर्मचारियों के लिए कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा स्कीम, 1976 के अंतर्गत स्वीकार्य लाभों से अधिक अनुकूल है । (जिसे इसमें इसके पश्चात् स्कीम कहा गया है) ।

अतः उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा 2 (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा श्रम मंत्रालय भारत सरकार/केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त की अधिसूचना सं. 2/1959/डी. एल. आई./एक्जम./89/भाग-1/दिनांक 18-1-91 के अनुसरण में तथा संलग्न अनुसूची में निर्धारित शर्तों के रहते हुए मैं, बी. एन. सोम, उक्त स्कीम के सभी उपबंधों के संचालन से उक्त स्थापना को और 3 वर्ष की अवधि के लिए छूट प्रदान करता हूं, दिनांक 1-11-1991 से 31-10-94 तक लागू होगा जिसमें यह तिथि 31-10-94 भी शामिल है ।

अनुसूची-1

1. उक्त स्थापना के सम्बन्ध में नियोजक (जिसे इसमें इसके पश्चात् नियोजक कहा गया है) संबंधित क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त, को ऐसी विवरणियां भेजेगा और ऐसे लेखा रखेगा तथा निरीक्षण के लिए ऐसी सुविधाएं प्रदान करेगा जो केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त, समय-समय पर निर्दिष्ट करें ।

2. नियोजक, ऐसे निरीक्षण प्रभारी का प्रत्येक मास की समाप्ति के 15 दिन के भीतर संदाय करेगा जो केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा (3-क) के खण्ड-क के अधीन समय-समय पर निर्दिष्ट करे ।

3. सामूहिक बीमा स्कीम के प्रशासन में, जिसके अन्तर्गत लेखाओं का रखा जाना, विवरणियों का प्रस्तुत किया जाना, बीमा प्रीमियम का संदाय, लेखाओं का अंतरण, निरीक्षण प्रभार का संदाय आदि भी है, होने वाले सभी व्ययों का वहन नियोजक द्वारा किया जाएगा ।

4. नियोजक, केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित सामूहिक बीमा स्कीम के नियमों की एक प्रति और जब कभी उनमें संशोधन किया जाये, तब उस संशोधन की प्रति तथा कर्मचारियों की बहुसंख्या की भाषा में उसकी मुख्य बातों का अनुवाद स्थापना के सूचना पट्ट पर प्रदर्शित करेगा ।

5. यदि कोई ऐसा कर्मचारी जो कर्मचारी भविष्य निधि का या उक्त अधिनियम के अधीन छूट प्राप्त किसी स्थापना की भविष्य निधि का पहले से ही सदस्य है, उसको स्थापना में नियोजित किया जाता है तो, नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के सदस्य के रूप में उसका नाम तुरन्त दर्ज करेगा और उसकी बाबत आवश्यक प्रीमियम भारतीय जीवन बीमा निगम को संदत्त करेगा ।

6. यदि उक्त स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध लाभ हटाये जाते हैं तो नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध लाभों में समुचित रूप से वृद्धि किए जाने की व्यवस्था करेगा, जिससे कि कर्मचारियों के लिए सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन उपलब्ध लाभों से अधिक अनुकूल हो जो उक्त स्कीमों के अधीन अनुज्ञेय है ।

7. सामूहिक बीमा स्कीम में किसी बात के होते हुए भी यदि किसी कर्मचारी की मृत्यु पर इस स्कीम के अधीन संदेय राशि से कम है जो कर्मचारी को उस दशा में संदेय होती जब वह उक्त स्कीम के अधीन होता तो, नियोजक कर्मचारी के विधिक वारिस/नाम निर्देशितों को प्रतिकर के रूप में दोनों राशियों के अंतर बराबर राशि का संदाय करेगा ।

8. सामूहिक बीमा स्कीम के उपबन्धों में कोई भी संशोधन सम्बन्धित क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त के पूर्व अनुमोदन के बिना नहीं किया जायेगा और जहां किसी संशोधन से कर्मचारियों के हित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना हो, वहां क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त अपना अनुमोदन देने से पूर्व कर्मचारियों को अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करने का युक्ति-युक्त अवसर देगा ।

9. यदि किसी कारणवश स्थापना के कर्मचारी भारतीय जीवन बीमा निगम की उस सामूहिक बीमा स्कीम के, जिसे स्थापना पहले अपना चुकी है अधीन नहीं रह जाता है या इस स्कीम के अधीन कर्मचारियों को प्राप्त होने वाले लाभ किसी रीति से कम हो जाते हैं तो यह रद्द की जा सकती है ।

10. यदि किसी कारणवश नियोजक उस नियत तारीख के भीतर जो भारतीय जीवन बीमा निगम नियत करे, प्रीमियम का संदाय करने में असफल रहता है और पालिसी को व्ययगत हो जाने दिया जाता है तो छूट रद्द की जा सकती है ।

11. नियोजक द्वारा प्रीमियम के संदाय में किये गये किसी व्यतिक्रम की दशा में उन मृत सदस्यों के नाम निर्देशितों या विधिक वारिसों को जो यदि यह छूट न दी गई होती तो उक्त स्कीम के अन्तर्गत होते, बीमा लाभों के संदाय का उत्तरदायित्व नियोजक पर होगा ।

12. उक्त स्थापना के संबंध में नियोजक इस स्कीम के अधीन आने वाले किसी सदस्य की मृत्यु होने पर उसके हकदार नाम निर्देशितों/विधिक वारिसों को बीमाकृत राशि का संदाय तत्परता से और प्रत्येक दशा में भारतीय जीवन बीमा निगम से बीमाकृत राशि प्राप्त होने के एक माह के भीतर सुनिश्चित करेगा ।

सं. 2/1959/डी. एल. आई./एक्जाम/89/भाग-1/1620—जहां मैसर्स लक्ष्मी रबड़ इंडस्ट्रीज, 4/11-12, इण्डस्ट्रियल एस्टेट, गोरवा रोड, बड़ौदा-390 016 (जी. जे./11987) ने कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) की धारा 17 की उप-धारा 2 (क) के अंतर्गत छूट के लिए आवेदन किया है (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) ।

चूंकि मैं, बी. एन. सोम, केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त इस बात से संतुष्ट हूं कि उक्त स्थापना के कर्मचारी कोई अलग अंशदान या प्रीमियम की अदायगी किए बिना जीवन बीमा के रूप में भारतीय जीवन बीमा निगम की सामूहिक बीमा स्कीम का लाभ उठा रहे हैं, जोकि ऐसे कर्मचारियों के लिए कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा स्कीम, 1976 के अन्तर्गत स्वीकार्य लाभों से अधिक अनुकूल है । (जिसे इसमें इसके पश्चात् स्कीम कहा गया है) ।

अतः उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा 2 (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा इसके साथ संलग्न अनुसूची में उल्लिखित शर्तों के अनुसार मैं, बी. एन. सोम, उक्त स्थापना की उल्लिखित पिछली तारीख से प्रभावी जिस तिथि में उक्त स्थापना को क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त बड़ौदा ने स्कीम की धारा 28 (7) के अंतर्गत ढील प्रदान की है, 3 वर्ष की अवधि के लिए उक्त स्कीम से संबंधित की छूट देता हूं । (दिनांक 1-8-89 से 31-7-92 तक) ।

अनुसूची-II

1. उक्त स्थापना के संबंध में नियोजक (जिसे इसमें इसके पश्चात् नियोजक कहा गया है) संबंधित क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त, को ऐसी विवरणियां भेजेगा और ऐसे लेखा रखेगा तथा निरीक्षण के लिए ऐसी सुविधाएं प्रदान करेगा जो केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त, समय-समय पर निर्दिष्ट करे ।

2. नियोजक ऐसे निरीक्षण प्रभारी का प्रत्येक मास की समाप्ति के 15 दिन के भीतर संदाय करेगा जो केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (3-क) के खंड-क के अधीन समय-समय पर निर्देश करे ।

3. सामूहिक बीमा स्कीम के प्रशासन में जिसके अंतर्गत लेखाओं का रखा जाना, विवरणियों का प्रस्तुत किया जाना, बीमा प्रीमियम का संदाय, लेखाओं का अन्तरण, निरीक्षण प्रभार का संदाय आदि भी है, होने वाले सभी व्ययों का वहन नियोजक द्वारा किया जाएगा ।

4. नियोजक, केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित सामूहिक बीमा स्कीम के नियमों की एक प्रति और जब कभी उनमें संशोधन किया जाए, तब उस संशोधन की प्रति तथा कर्मचारियों की बहुसंख्या की भाषा में उसकी मुख्य बातों का अनुवाद स्थापना के सूचना-पट्ट पर प्रदर्शित करेगा ।

5. यदि कोई ऐसा कर्मचारी भविष्य निधि का या उक्त अधिनियम के अधीन छूट प्राप्त किसी स्थापना को भविष्य निधि का पहले से ही सदस्य है, उसकी स्थापना में नियोजित किया जाता है तो, नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के सदस्य के रूप में उसका नाम तुरन्त दर्ज करेगा और उसकी बाबत आवश्यक प्रीमियम भारतीय जीवन बीमा निगम को संदत्त करेगा।

6. यदि उक्त स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध लाभ हटाए जाते हैं तो नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध लाभों में समुचित रूप से वृद्धि किए जाने की व्यवस्था करेगा, जिससे कि कर्मचारियों के लिए सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन उपलब्ध लाभों से अधिक अनुकूल हो जो उक्त स्कीम के अधीन अनुज्ञेय है।

7. सामूहिक बीमा स्कीम में किसी बात के होते हुए भी यदि किसी कर्मचारी की मृत्यु पर इस स्कीम के अधीन संदेय राशि से कम है जो कर्मचारी को उस दशा में संदेय होती जब वह उक्त स्कीम के अधीन होता तो, नियोजक कर्मचारी के विधिक वारिस/नाम निर्देशितों को प्रतिकर के रूप में दोनों राशियों के अंतर बराबर राशि का संदाय करेगा ।

8. सामूहिक बीमा स्कीम के उपबंधों में कोई भी संशोधन संबंधित क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त के पूर्व अनुमोदन के बिना नहीं किया जाएगा और जहां किसी संशोधन से कर्मचारियों के हित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना हो, वहां क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त अपना अनुमोदन देने से पूर्व कर्मचारियों को अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करने का युक्तियुक्त अवसर देगा ।

9. यदि किसी कारणवश स्थापना के कर्मचारी भारतीय जीवन बीमा निगम की उस सामूहिक बीमा स्कीम के, जिसे स्थापना पहले अपना चुकी है अधीन नहीं रह जाता है या इस स्कीम के अधीन कर्मचारियों को प्राप्त होने वाले लाभ किसी रीति से कम हो जाते हैं तो यह रद्द की जा सकती है ।

10. यदि किसी कारणवश नियोजक उस नियत तारीख के भीतर जो भारतीय जीवन बीमा निगम नियत करे, प्रीमियम का संदाय करने में असफल रहता है और पालिसी को व्ययगत हो जाने दिया जाता है तो छूट रद्द की जा सकती है ।

11. नियोजक द्वारा प्रीमियम के संदाय में किये गये किसी त्रुटिक्रम की दशा में उन मृत सदस्यों के नाम निर्देशितों या विधिक वारिसों को जो यदि यह छूट न दी गई होती तो उक्त स्कीम के अन्तर्गत होते, बीमा लाभों के संदाय का उत्तरदायित्व नियोजक पर होगा ।

12. उक्त स्थापना के सम्बन्ध में नियोजक इस स्कीम के अधीन आने वाले किसी सदस्य की मृत्यु होने पर उसके हकदार नाम निर्देशितों/विधिक वारिसों को बीमाकृत राशि का संदाय तत्परता से और प्रत्येक दशा में भारतीय जीवन बीमा निगम से बीमाकृत राशि प्राप्त होने के एक माह के भीतर सुनिश्चित करेगा।

सं. 2/1959/डी. एल. आई./एक्जाम/89/भाग-1/1628—जहां मैसर्स अमीत अलकोहल एण्ड कार्बन डायअक्साईड लिमिटेड, नैशनल हाईवेय नं. 8, वापी-396 195, जिला वलसाड, गुजरात (जी. जे./9446) ने कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) की धारा 17 की उप-धारा 2(क) के अंतर्गत छूट के लिए आवेदन किया है (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) ।

चूंकि मैं, बी. एन. सोम, केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त इस बात से संतुष्ट हूं कि उक्त स्थापना के कर्मचारी कोई अलग अंशदान या प्रीमियम की अदायगी किए बिना जीवन बीमा के रूप में भारतीय जीवन बीमा निगम की सामूहिक बीमा स्कीम का लाभ उठा रहे हैं, जोकि ऐसे कर्मचारियों के लिए कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा स्कीम, 1976 के अंतर्गत स्वीकार्य लाभों से अधिक अनुकूल है । (जिसे इसमें इसके पश्चात् स्कीम कहा गया है) ।

अतः उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा 2 (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा इसके साथ संलग्न अनुसूची में उल्लिखित शर्तों के अनुसार मैं, बी. एन. सोम, उक्त स्थापना को उल्लिखित पिछली तारीख से प्रभावी जिस तिथि से उक्त स्थापना को क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त गुजरात ने स्कीम की धारा 28 (7) के अंतर्गत ढील प्रदान की है, 3 वर्ष की अवधि के लिए उक्त स्कीम से संचालन की छूट देता हूं । (दिनांक 1-3-89 से 29-2-92 तक) ।

अनुसूची-

1. उक्त स्थापना के सम्बन्ध में नियोजक (जिसे इसमें इसके पश्चात् नियोजक कहा गया है) सम्बन्धित क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त को ऐसी विवरणियां भेजेगा और ऐसे लेखा रखेगा तथा निरीक्षण के लिए ऐसी सुविधाएं प्रदान करेगा जो केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त, समय-समय पर निर्दिष्ट करें।

2. नियोजक, ऐसे निरीक्षण प्रभारी का प्रत्येक वर्ष की समाप्ति के 15 दिन के भीतर संदाय करेगा जो केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा (3-क) के प्रयोजनों के लिए समय-समय पर निर्देश करे ।

3. सामूहिक बीमा स्कीम के प्रशासन में, जिसके अन्तर्गत लेखाओं का रखा जाना, विवरणियों का प्रस्तुत किया जाना, बीमा प्रीमियम का संदाय, लेखाओं का अन्तरण निरीक्षण प्रभार का संदाय आदि भी है, होने वाले सभी व्ययों का वहन नियोजक द्वारा किया जायेगा ।

4. नियोजक, केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित सामूहिक बीमा स्कीम के नियमों की एक प्रति और जब कभी उनमें संशोधन किया जाये, तब उस संशोधन की प्रति तथा कर्मचारियों की बहु संख्या की भाषा में उसकी मुख्य बातों का अनुवाद स्थापना की सूचना पट्ट पर प्रदर्शित करेगा।

5. यदि कोई ऐसा कर्मचारी जो कर्मचारी भविष्य निधि का या उक्त अधिनियम के अधीन छूट प्राप्त किसी स्थापना की भविष्य निधि का पहले से ही सदस्य है, उसको स्थापना में नियोजित किया जाता है तो, नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के सदस्य के रूप में उसका नाम तुरन्त दर्ज करेगा और उसके बाबत आवश्यक प्रीमियम भारतीय जीवन बीमा निगम को संदत्त करेगा ।

6. यदि उक्त स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध लाभ बढ़ाये जाते हैं तो नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध लाभों में समुचित रूप से वृद्धि किए जाने की व्यवस्था करेगा, जिससे कि कर्मचारियों के लिए सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन उपलब्ध लाभों से अधिक अनुकूल हो जो उक्त स्कीम के अधीन अनुज्ञेय है ।

7. सामूहिक बीमा स्कीम में किसी बात के होते हुए भी यदि किसी कर्मचारी की मृत्यु पर इस स्कीम के अधीन संदेय राशि से कम है जो कर्मचारी को उस दशा में संदेय होती जब वह उक्त स्कीम के अधीन होता तो, नियोजक कर्मचारी के विधिक वारिस/नाम निर्देशितों को प्रतिकर के रूप में दोनों राशियों के अंतर बराबर राशि का संदाय करेगा ।

8. सामूहिक बीमा स्कीम के उपबंधों में कोई भी संशोधन सम्बन्धित क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त के पूर्व अनुमोदन के बिना नहीं किया जायेगा और जहां किसी संशोधन से कर्मचारियों के हित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना हो, वहां क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त अपना अनुमोदन देने से पूर्व कर्मचारियों को अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करने का युक्तियुक्त अवसर देगा।

9. यदि किसी कारणवश स्थापना के कर्मचारी भारतीय जीवन बीमा निगम की उस सामूहिक बीमा स्कीम के, जिसे स्थापना पहले अपना चुकी है अधीन नहीं रह जाता है या इस स्कीम के अधीन कर्मचारियों को प्राप्त होने वाले लाभ किसी रीति से कम हो जाते हैं तो यह रद्द की जा सकती है।

10. यदि किसी कारणवश नियोजक उस नियत तारीख के भीतर जो भारतीय जीवन बीमा निगम नियत करे, प्रीमियम का संदाय करने में असफल रहता है और पालिसी को व्ययगत हो जाने दिया जाता है तो छूट रद्द की जा सकती है ।

11. नियोजक द्वारा प्रीमियम के संदाय में किये गये किसी व्यतिक्रम की दशा में उन मृत सदस्यों के नाम निर्देशितों या विधिक वारिसों को जो यदि यह छूट न दी गई होती तो उक्त स्कीम के अंतर्गत होते, बीमा लाभों के संदाय का उत्तरदायित्व नियोजक पर होगा।

12. उक्त स्थापना के सम्बन्ध में नियोजक इस स्कीम के अधीन आने वाले किसी सदस्य की मृत्यु होने पर उसके हकदार नाम निर्देशितों/विधिक वारिसों को बीमाकृत राशि प्राप्त होने के एक माह के भीतर सुनिश्चित करेगा ।

दिनांक, 1 मई 1992

सं. 2/1959/डी. एल. आई./एग्जाम/89/भाग-1/1643—जहां अनुसूची-1 में उल्लिखित नियोक्ताओं ने (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्थापना कहा गया है) कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) की धारा 17 की उपधारा 2 (क) के अंतर्गत छूट के लिए आवेदन किया है (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) ।

और चूंकि मैं, बी. एन. सोम, केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त इस बात से संतुष्ट हूं कि उक्त स्थापना के कर्मचारी कोई अलग अंशदान या प्रीमियम की अदायगी किए बिना जीवन बीमा के रूप में भारतीय जीवन बीमा निगम की सामूहिक बीमा स्कीम का लाभ उठा रहे हैं, जोकि ऐसे कर्मचारियों के लिए कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा स्कीम, 1976 के अन्तर्गत स्वीकार्य लाभों से अधिक अनुकूल है (जिसे इसमें इसके पश्चात् स्कीम कहा गया है) ।

अतः उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा 2(क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा इसके साथ संलग्न अनुसूची-2 में उल्लिखित शर्तों के अनुसार, मैं, बी. एन. सोम, प्रत्येक उक्त स्थापना की प्रत्येक के सामने (अनुसूची-2) में उल्लिखित पिछली तारीख से प्रभावी जिस तिथि से उक्त स्थापना को क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त, मद्रास ने स्कीम की धारा 28(7) के अंतर्गत छूट प्रदान की है, 3 वर्ष की अवधि के लिए उक्त स्कीम से संचालन की छूट देता हूं ।

अनुसूची-I

क्रम सं०	स्थापना का नाम और पता	कोड संख्या	छूट की प्रभावी तिथि	के० भ० नि० आ० फाईल सं०
1	2	3	4	5
1.	मैसर्स हिन्दुस्तान टेलीप्रिंटर्स लिमिटेड जी० एम० टी० रोड़, गुंडी, मद्रास–32	टी० एन०/2831	1–5–89 से 30–4–92	2/4058/92–डी० एल० आई०
2.	मैसर्स ई० आई० टी० पैरी लिमिटेड, फर्टीलाईजर मिक्सिंग यूनिट, कटपाड़ी रोड़, कटपाड़ी	टी० एन०/5565	1–11–89 से 31–10–92	2–4079/92–डी०एल०आई०
3.	मैसर्स स्वास्तिक इंजीनियरिंग कम्पनी, 5, एम० के० एन० रोड़, गुंडी, मद्रास–32	टी० एन०/5728	1–5–89 से 30–4–92	2/4000/92–डी० एल० आई०
4.	मैसर्स ऐश्वरन एण्ड सन्स इंजीनियरिंग गुंडी, मद्रास–32	टी० एन०/8223	1–3–89 से 29–2–92	2/4080/92–डी० एल० आई०
5.	मैसर्स दी इन्स्टीट्यूट आफ रोड ट्रांसपोर्ट तारामनी, मद्रास–60013	टी० एन०/10874	1–4–84 से 31–3–87 और 1–4–87 से 31–3–90 और 1–4–90 से 31–3–93	2/4081/92–डी० एल० आई०
6.	मैसर्स मी पैटल इंडस्ट्रीज, मी–12, इंडस्ट्रियल एस्टेट गुंडी, मद्रास–32	टी० एन०/19277	1–3–88 से 28–2–91	2/4059/92–डी० एल० आई०
7.	मैसर्स आन्ध्र प्रभा (प्रा०) लिमिटेड, एक्सप्रैस एस्टेट, माउन्ट रोड़, मद्रास–2	टी० एन०/23152	1–4–91 से 31–3–94	2/4060/92–डी० एल० आई०

अनुसूची-II

1. उक्त स्थापना के संबंध में नियोजक (जिसे इसमें इसके पश्चात् नियोजक कहा गया है) संबंधित क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त, को ऐसी विवरणियां भेजेगा और ऐसे लेखा रखेगा तथा निरीक्षण के लिए ऐसी सुविधाएं प्रदान करेगा जो केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त, समय-समय पर निर्दिष्ट करे ।

2. नियोजक, ऐसे निरीक्षण प्रभारी का प्रत्येक मास की समाप्ति के 15 दिन के भीतर संदाय करेगा जो केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा (3-क) के खण्ड-क के अधीन समय-समय पर निर्दिष्ट करे ।

3. सामूहिक बीमा स्कीम के प्रशासन में, जिसके अंतर्गत लेखाओं का रखा जाना, विवरणियों का प्रस्तुत किया जाना, बीमा प्रीमियम का संदाय, लेखाओं का अन्तरण, निरीक्षण प्रभार का संदाय आदि भी है, होने वाले सभी व्ययों का वहन नियोजक द्वारा किया जाएगा ।

4. नियोजक, केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित सामूहिक बीमा स्कीम के नियमों की एक प्रति और जब कभी उनमें संशोधन किया जाए, सब उस संशोधन की प्रति तथा कर्मचारियों की बहु-संख्या की भाषा में उसकी मुख्य बातों का अनुवाद स्थापना के सूचना पट्ट पर प्रदर्शित करेगा ।

5. यदि कोई ऐसा कर्मचारी जो कर्मचारी भविष्य निधि का या उक्त अधिनियम के अधीन छूट प्राप्त किसी स्थापना की भविष्य निधि का पहले से ही सदस्य है, उसको स्थापना में नियोजित किया जाता है तो, नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के सदस्य के रूप में उसका नाम तुरन्त दर्ज करेगा और उसकी बाबत आवश्यक प्रीमियम भारतीय जीवन बीमा निगम को संदत्त करेगा ।

6. यदि उक्त स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध लाभ बढ़ाये जाते हैं तो नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध लाभों में समुचित रूप से वृद्धि किए जाने की व्यवस्था करेगा, जिससे कि कर्मचारियों के लिए सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन उपलब्ध लाभों से अधिक अनुकूल हो जो उक्त स्कीम के अधीन अनुदेय है ।

7. सामूहिक बीमा स्कीम में किसी बात के होते हुए भी यदि किसी कर्मचारी की मृत्यु पर इस स्कीम के अधीन संदेय राशि उस राशि से कम है जो कर्मचारी को उस दशा में संदेय होती, जब वह उक्त स्कीम के अधीन होता तो, नियोजक कर्मचारी के विधिक वारिस/नाम निर्देशितों को प्रतिकर के रूप में दोनों राशियों के अंतर बराबर राशि का संदाय करेगा ।

8. सामूहिक बीमा स्कीम के उपबन्धों में कोई भी संशोधन संबंधित क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त के पूर्व अनुमोदन के बिना नहीं किया जाएगा और जहां किसी संशोधन से कर्मचारियों के हित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना हो, वहां क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त अपना अनुमोदन देने से पूर्व कर्मचारियों को अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करने का युक्ति-युक्त अवसर देगा ।

9. यदि किसी कारणवश स्थापना के कर्मचारी भारतीय जीवन बीमा निगम की उस सामूहिक बीमा स्कीम के, जिसे स्थापना पहले अपना चुकी है, अधीन नहीं रह जाता है या इस स्कीम के अधीन कर्मचारियों को प्राप्त होने वाले किसी रीति से कम हो जाते हैं तो यह रद्द की जा सकती है ।

10. यदि किसी कारणवश नियोजक उस नियत तारीख के भीतर जो भारतीय जीवन बीमा निगम नियत करे, प्रीमियम का संदाय करने में असफल रहता है और पालिसी को व्ययगत हो जाने दिया जाता है तो छूट रद्द की जा सकती है ।

11. नियोजक द्वारा प्रीमियम के संदाय में किए गए किसी व्यतिक्रम की दशा में उन मृत सदस्यों के नाम निर्देशितों या विधिक वारिसों को जो यदि यह छूट न दी गई होती तो उक्त स्कीम के अंतर्गत होते, बीमा लाभों के संदाय का उत्तरदायित्व नियोजक पर होगा ।

12. उक्त स्थापना के संबंध में नियोजक इस स्कीम के अधीन आने वाले किसी सदस्य की मृत्यु होने पर उसके हकदार नाम निर्देशितों/विधिक वारिसों को बीमाकृत राशि का संदाय तत्परता से और प्रत्येक दशा में भारतीय जीवन बीमा निगम से बीमाकृत राशि प्राप्त होने के एक माह के भीतर सुनिश्चित करेगा ।

सं. 2/1959/डी. एन. आई./एक्जम/89/भाग-1/651—जहां अनुसूची-1 में उल्लिखित नियोक्ताओं ने (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्थापना कहा गया है) कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) की धारा 17 की उपधारा 2(क) के अंतर्गत छूट के लिए आवेदन किया है (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) ।

चूंकि मैं, बी. एन. सोम, केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त इस बात से संतुष्ट हूं कि उक्त स्थापना के कर्मचारी कोई अलग अंशदान या प्रीमियम की अदायगी किए बिना जीवन बीमा के रूप में भारतीय जीवन बीमा निगम की सामूहिक बीमा स्कीम का लाभ उठा रहे हैं, ताकि ऐसे कर्मचारियों के लिए कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा स्कीम, 1976 के अंतर्गत स्वीकार्य लाभों से अधिक अनुकूल है (जिसे इसमें इसके पश्चात् स्कीम कहा गया है) ।

अतः उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा 2(क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा इसके साथ संलग्न अनुसूची-2 में उल्लिखित शर्तों के अनुसार मैं, बी. एन. सोम प्रत्येक उक्त स्थापना को प्रत्येक के सामने (अनुसूची-2) में उल्लिखित पिछली तारीख से प्रभावी जिस तिथि से उक्त स्थापना को क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त कोयम्बटूर ने स्कीम की धारा 28(7) के अंतर्गत छूट प्रदान की है, 3 वर्ष की अवधि के लिए उक्त स्कीम से संचालन की छूट देता हूं ।

क्रम सं०	स्थापना का नाम और पता	कोडसंख्या	छूट की प्रभावी तिथि	के भ० नि० आ फाइल संख्या
1.	मैसर्स लक्ष्मी कार्ड क्लोथिंग मैन्यूफैक्चरिंग कं० लि०, यूनिट–1 कुपुस्वामी, नाडूपुरम, पो ओ० 638662 पालाडम टी० के० कोयम्बटूर डिस्ट्रोक (इसकी ब्रांचों सहित जोकि इसी कोड नं० के अन्तर्गत आती है)	टी० एन०/4530	1–8–89 से 28–2–90	2/4034/92–डी० एल० आई०
2.	मैसर्स दा नीलगिरिज को-आप प्रिंटिंग वर्क्स लिमिटेड, नं जे०–181, चैरिंग क्रास, उधागरनडलम–643001	टी० एन /4531	1–10–87 से 30–9–90	2/4035/92–डी० एल० आई०
3.	मैसर्स आटो शल, 10 शिडियो इन्डस्ट्रियल एस्टेट, कोयम्बटूर–21	टी० एन०/17273	1–5–91 से 30–4–94	2/4036/92–डी० एल० आई०
4.	मैसर्स परक्स मैट्रीकूलेशन हायर सैकेन्डरी स्कूल, उपली पलायम कोयम्बटूर–641015	टी० एन०/21638	1–2–91 से 31–1–94	2/4037/92–डी० एल० आई०
5.	मैसर्स मुरुगादास इलैक्ट्रोप्लेटिंग वर्क्स, 315, पटेल रोड़, राम नगर, कोयम्बटूर–641009	टी० एन०/25032	1–7–90 से 30–6–93	2/4038/92–डी० एल० आई०
6.	मैसर्स गोकुल फूड्स 13 'ए' मधुकराई रोड़, कुरुची पोस्ट, कोयम्बटूर–641021 (इसी कोड नं० के अन्तर्गत आने वाले ब्रांचें)	टी० एन०/25051	1–7–90 से 30–6–93	2/4039/92–डी० एल० आई०

अनुसूची –

1. उक्त स्थापना के सम्बन्ध में नियोजक (जिसे इसमें इसके पश्चात् नियोजक कहा है) सम्बन्धित क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त, की ऐसी विवरणियां भेजेगा और ऐसे लेखा रखेगा तथा निरीक्षण के लिए ऐसी सुविधाएं प्रदान करेगा जो केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त, समय-समय पर निर्दिष्ट करें।

2. नियोजक, ऐसे निरीक्षण प्रभारी का प्रत्येक मास की समाप्ति के 15 दिन के भीतर संदाय करेगा जो केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा (3-क) के खण्ड-क के अधीन समय-समय पर निर्दिष्ट करे ।

3. सामूहिक बीमा स्कीम के प्रशासन में, जिसके अन्तर्गत लेखाओं का रखा जाना, विवरणियों का प्रस्तुत किया जाना, बीमा प्रीमियम का संदाय, लेखाओं का अन्तरण, निरीक्षण प्रभार का संदाय आदि भी है, होने वाले सभी व्ययों का वहन नियोजक द्वारा किया जाएगा ।

4. नियोजक, केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित सामूहिक बीमा स्कीम के नियमों की एक प्रति और जब कभी उनमें संशोधन किया जाए, तब उस संशोधन की प्रति तथा कर्मचारियों को बहु-संख्या की भाषा में उसकी मुख्य बातों का अनुवाद स्थापना के सूचना पट्ट पर प्रदर्शित करेगा।

5. यदि कोई ऐसा कर्मचारी जो कर्मचारी भविष्य निधि का या उक्त अधिनियम के अधीन छूट प्राप्त किसी स्थापना की भविष्य निधि का पहले से ही सदस्य है, उसको स्थापना में नियोजित किया जाता है तो, नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के सदस्य के रूप में उसका नाम तुरन्त दर्ज करेगा और उसकी बाबत आवश्यकता प्रीमियम भारतीय जीवन बीमा निगम को संदत्त करेगा ।

6. यदि उक्त स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध लाभ बढ़ाए जाते है तो नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध लाभों में समुचित रूप से वृद्धि किए जाने की व्यवस्था करेगा, जिससे कि कर्मचारियों के लिए सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन उपलब्ध लाभों से अधिक अनुकूल हो जो उक्त स्कीम के अधीन अनुज्ञेय है ।

7. सामूहिक बीमा स्कीम में किसी बात के होते हुए भी यदि किसी कर्मचारी की मृत्यु पर इस स्कीम के अधीन संदेय राशि से कम है जो कर्मचारी को उस दशा में संदेय होती जब वह उक्त स्कीम के अधीन होता तो, नियोजक कर्मचारी के विधिक वारिस/नाम निर्देशितों को प्रतिकर के रूप में दोनों राशियों के अंतर बराबर राशि का संदाय करेगा ।

8. सामूहिक बीमा स्कीम के उपबन्धों में कोई भी संशोधन सम्बन्धित क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त के पूर्व अनुमोदन के बिना नहीं किया जाएगा और जहां किसी संशोधन से कर्मचारियों के हित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना हो, वहां क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त अपना अनुमोदन देने से पूर्व कर्मचारियों को अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करने का युक्तियुक्त अवसर देगा ।

9. यदि किसी कारणवश स्थापना के कर्मचारी भारतीय जीवन बीमा निगम की उस सामूहिक बीमा स्कीम के, जिसे स्थापना पहले अपना चुकी है, अधीन नहीं रह जाता है या इस स्कीम के अधीन कर्मचारियों को प्राप्त होने वाले किसी रीति से कम हो जाते है तो यह रद्द की जा सकती है ।

10. यदि किसी कारणवश नियोजक उस नियत तारीख के भीतर जो भारतीय जीवन बीमा निगम नियत करे, प्रीमियम का संदाय करने में असफल रहता है और पालिसी को व्ययगत हो जाने दिया जाता है तो छूट रद्द की जा सकती है ।

11. नियोजक द्वारा प्रीमियम के संदाय में किए गए किसी व्यतिक्रम की दशा में उन मृत सदस्यों के नाम निर्देशितों या विधिक वारिसों को जो यदि यह छूट न दी गई होती तो उक्त स्कीम के अंतर्गत होते, बीमा लाभों के संदाय का उत्तरदायित्व नियोजक पर होगा ।

12. उक्त स्थापना के संबंध में नियोजक इस स्कीम के अधीन आने वाले किसी सदस्य की मृत्यु होने पर उसके हकदार नाम निर्देशितों/विधिक वारिसों की बीमाकृत राशि का संदाय तत्परता से और प्रत्येक दशा में भारतीय जीवन बीमा निगम से बीमाकृत राशि प्राप्त होने के एक माह के भीतर सुनिश्चित करेगा।

सं० के० भ० नि० आ०1/(4) आं० प्र० (373)/92/1636) :—केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त को जहां प्रतीत होता है कि निम्नलिखित स्थापनाओं से संबंधित नियोक्ता तथा कर्मचारियों का बहुमत इस बात से सहमत है कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम 1952 (1952 का 19) के उपबन्ध उक्त स्थापनाओं पर लागू किए जायें ।

क्रम सं०	कोड नं०	स्थापना का नाम व पता	व्याप्ति की तिथि
1.	आं० प्र०/20396	मै०साऊथ ईस्ट रेलवे एम्प्लाइज कोआपरेटिव स्टोर्स लि० डी०नं० 42-26-7 वाल्टायर (आरणराम) विशाखापटनम (आ० प्र०)	1-8-91
2.	आं० प्र०/21952	मै० मिस्मेटिक मिनरल्स (प्रा० लि०) कर्मनिघाट विलेज, सफर नगर, आर० आर० डिस्ट्रिक्ट-500963	1-11-91
3.	आं० प्र०/21926	मै० गुलबर्ग ट्रैवल्स 11-04-656/2, लकड़ी का पुल, हैदराबाद	1-9-91
4.	आं० प्र०/20381	मै० श्रीराम इंजीनियरिंग कम्पनी, नं० 14 टी० सी० आर० कम्प्लैक्स०, विशाखापटनम-4	1-12-91
5.	आं० प्र०/20539	मै० श्री वेंकटेश्वर कंस्ट्रक्शन एम० वी० पी० कालोनी, प्लाट नं० 223, सैक्टर-III विशाखापटनम-17	1-10-91
6.	आं० प्र०/21874	मै० समरकशण इलैक्ट्रिकल्स लि०, 127, हैदर नगर, कुकुटपाल्ली (पोस्ट) जन्तु इंजीनियरिंग कालिज के पास,हैदराबाद-500972	1-12-91

अतः केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त, उक्त अधिनियम की धारा 1 की उप धारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उपर्युक्त स्थापनाओं को उस या उस प्रभावी तिथि से अधिनियम को लागू करते है । जो उक्त स्थापनाओं के नाम के सामने दर्शायी गई है ।

बी० एन० सोम,
केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त

RESERVE BANK OF INDIA,

Industrial & Export Credit Development

Contral Office

Bombay-400023, Dated 23th April 1992

ANNEXURE-'B'

Errors defected in English version of Notification No. IECD 4/87(C.P.)-91/92 dated December 20, 1991 published in Gazette of India, Part-III, Section 4, No. 5 dated February 1, 9992

Sr. No.	Page No.	Para	Scheduled	Error	Correction
1	2	3	4	5	6
1.	186	2	--	In Paragraph 4 of sub. paragraph.	In paragraph 4 for sub-paragraph.
2.	186	2 subpara	5th line	Information Credit Rating Agency of India Ltd.	Information & Credit Rating Agency of India Ltd.

UCO BANK

PERSONNEL DEPARTMENT

Calcutta-700001, the 24th April 1992

No. OSR/1/1992.—In exercise of the powers conferred by Section 19 of the Banking Companies (Acquisition & Transfer of Undertakings) Act, 1970 (5 of 1970), the Board of Directors of UCO Bank in consultation with the Reserve Bank of India and with the previous sanction of the Central Government hereby makes the following regulations further to amend the UCO Bank (Officers') Service Regulations, 1979.

2. Short title and commencement: (1) These regulations may be called the UCO Bank (Officers') Service Amendment Regulations, 1992.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

3. In the UCO Bank (Officers') Service Regulations, 1979—

(i) The Sub-regulation (viii) of Regulation 23 relating to Split Duty Allowance shall be amended to read as under:

On and from 1-1-1990, if his working hours during a day are split with minimum interval of 2 hours, a Split Duty Allowance of Rs. 35/- p.m.

(ii) The Sub-regulation (4) of Regulation 41 relating to Halting Allowance and reimbursement of the actual hotel expenses shall be amended to read as under:

On and from 1-6-1991 an officer in the Grades/Scales set out in Column 1 of the Table below shall be entitled to Halting Allowance at the corresponding rates set out in Column 2 thereof:

(1)	(2)		
	Daily Allowance (Rupees)		
Grades/Scales of Officers	Major 'A' Class Cities	Area-I	Other Places
Officers in Scale IV and above	1200.00	100.00	85.00
Officers in Scale I/II/III	100.00	85.00	75.00

Provided that

(a) Where the total period of absence is less than 8 hours, but more than 4 hours, Halting Allowance at half the above rates shall be payable.

(b) Officers in various Grades/Scales may be reimbursed the actual hotel expenses, restricting to single accommodation charges in ITDC Hotels, subject to the limits as given below:—

Boarding Charges (Rupees)

Grades/Scales of Officers	Eligibility to stay	Major 'A' Class Cities	Area-I	Other Places
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Scale VI & VII	4* Hotel	120.00	100.00	85.00
Scale IV & V	3* Hotel	120.00	100.00	85.00
Scale II & III	2* Hotel (Non-AC)	100.00	85.00	75.00
Scale-I	1* Hotel (Non-AC)	100.00	85.00	75.00

(c) Where lodging is provided at bank's cost/arranged through the bank free of cost, 3/4th of the Halting Allowance will be admissible.

(d) Where boarding is provided at bank's cost/arranged through the bank free of cost, 1/2 of the Halting Allowance will be admissible.

(e) Where lodging and boarding are provided at bank's cost/arranged through the bank free of cost, 1/4th of the Halting Allowance will be admissible. Where however an officer claims boarding expenses on a declaration basis without production of bills for actual expenses incurred, then he shall not be eligible for 1/4th of the Halting Allowance.

(f) On and from 1-1-1987 a Supplementary Diem Allowance of Rs. 10/- per day of halt outside headquarters on inspection duty shall be paid to all inspecting officers.

Explanation :

For the purpose of computing Halting Allowance "per diem" shall mean each period of 24 hours or any subsequent part thereof, reckoned from the reporting time for departure in the case of air travel and the scheduled time of departure in other cases, to the actual time of arrival. Where the total period of absence is less than 24 hours, "per diem" shall mean a period of not less than 8 hours.

(iii) The Sub-regulation (ii) of Regulation 44 relating to Leave Travel Concession and encashment of Privilege Leave shall be amended to read as under :

On and from 1-6-1991 once in every 4 years when an officer avails of Leave Travel Concession he may be permitted to surrender and encash his Privilege Leave not exceeding one month at a time. Alternatively, he may, whilst travelling in one block of two years to his home town and in other block to any place in India, be permitted encashment of Privilege Leave with a maximum of 15 days in each block or 30 days in one block. For the purpose of leave encashment all the emoluments payable for the month during which the availment of the Leave Travel Concession commences shall be admissible.

Provided that an officer at his option shall be permitted to encash one day's additional privilege leave for donation to the Prime Minister's Relief Fund subject to his giving a letter to the Bank to that effect and authorising the Bank to remit the amount to the Fund.

R. A. BAGARIA,
General Manager (Offg.)
(Personnel)

EMPLOYEES' STATE INSURANCE CORPORATION

New Delhi, the 10th April 1992

No. N-15/13/14/10/90-P&D.—In pursuance of powers conferred by Section 46(2) of the Employees' State Insurance Act, 1948 (34 of 1948), read with Regulation 95-A of the Employees' State Insurance (General) Regulations, 1950, the Director General has fixed the 1-3-92 as the date from which the medical benefits as laid down in the said Regulation 95-A and the Tamil Nadu Employees' State Insurance (Medical Benefit) Rules, 1954 shall be extended to the families of insured persons in the following area in the State of Tamil Nadu namely :—

"Areas comprising the revenue villages of Melarajakularaman, Aiyankulamkondan and Melapattam Karisal Kulam in Rajapalayam Taluk of Kamarajar District."

S. GHOSH,
Jt. Insurance Commissioner (B)

New Delhi, the 23rd April 1992

CORRIGENDUM

No. V-33(13)-10/90-Estt.IV.—The existing entries at Sl. No. 6 and 8 of Employees' State Insurance Corporation's notification of even number dated 26-6-1991 regarding reconstitution of the Regional Board, Maharashtra may be reads as :—

6. Shri B.N. Tadvalkar, ... Labour Adviser, . Maratha Chamber of Commerce and Industries, Tilak Road, . Pune-2.	Employers, representative
8. Shri Dada Narayanrao Lambat, ... Joint Secretary, Rashtriya Mill Mazdoor Sangh, Nag Road, Vidyanath Chowk, Nagpur.	Employeers' representative

SMT. KUSUM PRASAD
Director General

MINISTRY OF LABOUR

OFFICE OF THE CENTRAL PROVIDENT FUND COMMISSIONER

New Delhi-110 001, the 27th April 1992

No. 2/1959/EDLI/Exemp/89/Pt./1604.—WHEREAS M/s. The Kakinada Consumers Co-op Central Stores Ltd., Kakinada, Kakinada (AP/3372) have applied for exemption under sub-section 2(A) of Section 17 of the Employees' Provident Funds & Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952) (hereinafter referred to as the said Act) ;

AND WHEREAS, I, B. N. SOM, Central Provident Fund Commissioner is satisfied that the employees of the said establishment is, without making any separate contribution or payment of premium, in enjoyment of benefits under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India in the nature of Life Insurance which are more favourable to such employees than the benefits admissible under the Employees' Deposit Linked Insurance Scheme, 1976 (heerinafter referred to as the said Scheme) ;

NOW, THEREFORE, in exercise of the power conferred by sub-Section (2A) of Section 17 of the said Act and subject to the conditions specified in Schedule. I annexed hereto, I B.N. SOM, hereby exempt the above said establishment with retrospective effect from which date relaxation order under Para 28(7) of the said Scheme has been granted by the Regional Provident Fund Commissioner, Visakhapatnam from the operation of the said Scheme for and upto a period of 3 years from 1-6-90 to 31-5-93.

SCHEDULE-II

1. The employer in relation to each of the said establishment (hereinafter referred to as the employer) shall submit such returns to the Regional Provident Fund Commissioner concerned and maintain such accounts and provide such facilities for inspection, as the Central Provident Fund Commissioner may direct from time to time.

2. The employer shall pay such inspection charges as the Central Government may, from time to time, direct under clause (a) of sub-Section (3A) of Section 17 of the said Act, within 15 days from the close of every month.

3. All expenses involved in the administration of the Group Insurance Scheme, including maintenance of ac-

counts, submission of returns, payment of insurance premia, transfer of accounts, payment of inspection charges etc. shall be borne by the employer.

4. The employer shall display on the Notice Board of the establishment, a copy of the rules of the Group Insurance Scheme as approved by the Central Government/Central Provident Fund Commissioner as and when amended, alongwith translation of the salient features thereof in the language of the majority of the employees.

5. Whereas an employee, who is already a member of the Emploees Provident Fund or the Provident Fund of an establishment exempted under the said Act, if employed in his establishment the employer shall immediately admit him as a member of the Group Insurance Scheme and pay necessary premium in respect of him to the Life Insurance Corporation of India.

6. The employer shall arrange to enhance the benefits available to the employees under the Group Insurance Scheme appropriately if the benefits available to the employees under the said Scheme are enhanced so that the benefits available under the Group Insurance Scheme are more favourable to the employees than the benefits admissible under the said Scheme.

7. Notwithstanding anything contained in the Group Insurance Scheme, if on the death of an employees the amounts payable under the Scheme be less than the amount that would be payable had the employees been covered under the said Schme, the employer shall pay the difference to the nominee(s)/legal heir(s) of the employee as compensation.

8. No amendment of the Provisions of the Group Insurance Scheme shall be made without the prior approval of the Regional Provident Fund Commissioner concerned and where any amendment is likely to effect adversely the interest of the employees' his approval, give a reasonable opportunity to the employee to explain their point of view.

9. Where for any reason, the employee of the said establishment do not remain covered under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India as already adopted by the said establishment, or the benefits to the employees under this scheme are reduced in any manner, the exemption shall be liable to be cancelled.

10. Where for any reason, the employer fails to pay the premium etc. within the due date, as fixed by the Life Insurance Corporation of India, and the policy is allowed to lapse, the exemption shall be liable to be cancelled.

11. In case of default, if any made by the employer in payment of premium the responsibility for payment of assurance benefits to the nominee(s) legal heir(s) of deceased member who would have been covored under the said scheme but for grant of this exemption, shall be that of the employer.

12. Upon the death of the member covered under the Group Insurance Scheme the Life Insurance Corporation of India shall ensure prompt payment of the sum assured to the nominee(s)/Legal heir(s) of the deceased member entitled for it and in any case within one month from the receipt of claims complete in all respect.

No. 2/1959/EDLI/Exemp '89/Pt./1612.—WHEREAS M/s. Laminated Packings (P) Ltd., A-I., Industrial Estate, Vishakhapatnam-530007 (AP/3382) have applied for exemption under sub-section (2A) of Section 17 of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952) (hereinafter referred to as the said Act):

AND WHEREAS, I, B. N. SOM, Central Provident Fund Commissioner is satisfied that the employees of the said establishment is, without making any separate contribution or payment of premium, in enjoyment of benefits under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India in the nature of Life Insurance which are more favourable to such employees than the benefits admissible under the Employees' Deposit Linked Insurance Scheme, 1976 (hereinafter referred to as the said Scheme):

NOW, THEREFORE, in exercise of the power conferred by sub-Section (2A) of Section 17 of the said Act and in continuation of the Government of India in the Ministry of Labour, C.P.F.C. notification No. 2/1959|DLI|Exemp|89|Pt.I|dated 18-1-91 and subject to the conditions specified in Schedule-II annexed hereto, I, B. N. SOM, hereby exempt the above said establishment from the operation of all the provisions of the said Scheme for a further period of 3 years with effect from 1-11-91 to 31-10-94 upto and inclusive of the 31-10-94.

SCHEDULE-II

1. The employer in relation to each of the said establishment (hereinafter referred to as the employer) shall submit such returns to the Regional Provident Fund Commissioner concerned and maintain such accounts and provide such facilities for inspection, as the Central Provident Fund Commissioner may direct from time to time.

2. The employer shall pay such inspection charges as the Central Government may, from time to time, direct under clause (a) of sub-Section (3A) of Section 17 of the said Act, within 15 days from the close of every month.

3. All expenses involved in the administration of the Group Insurance Scheme, including maintenance of accounts, submission of returns, payment of insurance premia, transfer of accounts, payment of inspection charges etc. shall be borne by the employer.

4. The employer shall display on the Notice Board of the establishment, a copy of the rules of the Group Insurance Scheme as approved by the Central Government/Central Provident Fund Commissioner as and when amended, alongwith translation of the salient features thereof in the language of the majority of the employees.

5. Whereas an employee, who is already a member of the Employees' Provident Fund or the Provident Fund of an establishment exempted under the said Act, if employed in his establishment the employer shall immediately admit him as a member of the Group Insurance Scheme and pay necessary premium in respect of him to the Life Insurance Corporation of India.

6. The employer shall arrange to enhance the benefits available to the employees under the Group Insurance Scheme appropriately if the benefits available to the employees under the said Scheme are enhanced so that the benefits available under the Group Insurance Scheme are more favourable to the employees than the benefits admissible under the said Scheme.

7. Notwithstanding anything contained in the Group Insurance Scheme, if on the death of an employees the amounts payable under the Scheme be less than the amount that would be payable had the employees been covered under the said Schme, the employer shall pay the difference to the nominee(s)/legal heir(s) of the employee as compensation.

8. No amendment of the Provisions of the Group Insurance Scheme shall be made without the prior approval of the Regional Provident Fund Commissioner concerned and where any amendment is likely to effect adversely the interest of the employees' his approval, give a reasonable opportunity to the employee to explain their point of view.

9. Where for any reason, the employee of the said establishment do not remain covered under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India as already adopted by the said establishment, or the benefits to the employees under this scheme are reduced in any manner, the exemption shall be liable to be cancelled.

10. Where for any reason, the employer fails to pay the premium etc. within the due date, as fixed by the Life Insurance Corporation of India, and the policy is allowed to lapse, the exemption shall be liable to be cancelled.

11. In case of default, if any made by the employer in payment of premium the responsibility for payment of assurance benefits to the nominee(s) legal heir(s) of deceased member who would have been covered under the said scheme but for grant of this exemption, shall be that of the employer.

12. Upon the death of the member covered under the Group Insurance Scheme the Life Insurance Corporation of India shall ensure prompt payment of the sum assured to the nominee(s)/Legal heir(s) of the deceased member entitled for it and in any case within one month from the receipt of claims complete in all respect.

No. 2/1959/EDLI/Exemp./89/Pt./1620.—WHEREAS M/s. Laxmi Rubber Industries 4/11, Industrial Estate, Gorwa Road, Baroda-390016 (GJ/11987), have applied for exemption under sub-section 2(A) of Section 17 of the Employees' Provident Funds & Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952) (hereinafter referred to as the said Act) :

AND WHEREAS, I, B. N. SOM, Central Provident Fund Commissioner is satisfied that the employees of the said establishment is, without making any separate contribution or payment of premium, in enjoyment of benefits under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India in the nature of Life Insurance which are more favourable to such employees than the benefits admissible under the Employees' Deposit Linked Insurance Scheme, 1976 (hereinafter referred to as the said Scheme) :

NOW, THEREFORE, in exercise of the power conferred by sub-Section (2A) of Section 17 of the said Act and subject to the conditions specified in Schedule. I annexed hereto, I B.N. SOM, hereby exempt the above said establishment with retrospective effect from which date relaxation order under Para 28(7) of the said Scheme has been granted by the Regional Provident Fund Commissioner, Baroda from the operation of the said Scheme for and upto a period of 3 years from 1-8-89 to 31-7-92.

SCHEDULE-II

1. The employer in relation to each of the said establishment (hereinafter referred to as the employer) shall submit such returns to the Regional Provident Fund Commissioner concerned and maintain such accounts and provide such facilities for inspection, as the Central Provident Fund Commissioner may direct from time to time.

2. The employer shall pay such inspection charges as the Central Government may, from time to time, direct under clause (a) of sub-Section (3A) of Section 17 of the said Act, within 15 days from the close of every month.

3. All expenses involved in the administration of the Group Insurance Scheme, including maintenance of accounts, submission of returns, payment of insurance premia transfer of accounts, payment of inspection charges etc. shall be borne by the employer.

4. The employer shall display on the Notice Board of the establishment, a copy of the rules of the Group Insurance Scheme as approved by the Central Government/Central Provident Fund Commissioner as and when amended, alongwith translation of the salient features thereof in the language of the majority of the employees.

5. Whereas an employee, who is already a member of the Employees' Provident Fund or the Provident Fund of an establishment exempted under the said Act, if employed in his establishment the employer shall immediately admit him as a member of the Group Insurance Scheme and pay necessary premium in respect of him to the Life Insurance Corporation of India.

6. The employer shall arrange to enhance the benefits available to the employees under the Group Insurance Scheme appropriately if the benefits available to the employees under the said Scheme are enhanced so that the benefits available under the Group Insurance Scheme are more favourable to the employees than the benefits admissible under the said Scheme.

7. Notwithstanding anything contained in the Group Insurance Scheme, if on the death of an employees the amounts payable under the Scheme be less than the amount that would be payable had the employees been covered under the said Scheme, the employer shall pay the difference to the nominee(s)/legal heir(s) of the employee as compensation.

8. No amendment of the Provisions of the Group Insurance Scheme shall be made without the prior approval of the Regional Provident Fund Commissioner concerned and where any amendment is likely to effect adversely the interest of the employees' his approval, give a reasonable opportunity to the employee to explain their point of view.

9. Where for any reason, the employee of the said establishment do not remain covered under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India as already adopted by the said establishment, or the benefits to the employees under this scheme are reduced in any manner, the exemption shall be liable to be cancelled.

10. Where for any reason, the employer fails to pay the premium etc. within the due date, as fixed by the Life Insurance Corporation of India, and the policy is allowed to lapse, the exemption shall be liable to be cancelled.

11. In case of default, if any made by the employer in payment of premium the responsibility for payment of assurance benefits to the nominee(s)/legal heirs) of deceased member who would have been covered under the said scheme but for grant of this exemption shall be that of the employer.

12. Upon the death of the member covered under the Group Insurance Scheme the Life Insurance Corporation of India shall ensure prompt payment of the sum assured to the nominee(s)/Legal heir(s) of the deceased member entitled for it and in any case within one month from the receipt of claims complete in all respect.

No. 2/1959/EDLI/Exemp./89/Pt./1628.—WHEREAS M/s. Amit Alcohal & Carbon Dioxide Ltd., National Highway No. 8, Vapi-396195 Distt. Valsad (GJ/9446) Gujrat have applied for exemption under sub-section 2(A) of Section 17 of the Employees' Provident Funds & Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952) (hereinafter referred to as the said Act) :

AND WHEREAS, I. B. N. SOM, Central Provident Fund Commissioner is satisfied that the employees of the said establishment is, without making any separate contribution or payment of premium, in enjoyment of benefts under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India in the nature of Life Insurance which are more favourable to such employees than the benefits admissible under the Employees' Deposit Linked Insurance Scheme 1976 (hereinafter referred to as the said Scheme) :

NOW, THEREFORE, in exercise of the power conferred by sub-Section (2A) of Section 17 of the said Act and subject to the conditions specified in Schedule II annexed hereto, I B. N. SOM, hereby exempt the above said establishment with retrospective effect from which date relaxation order under Para 28(7) of the said Scheme has been granted by the Regional Provident Fund Commissioner, Gujarat from the operation of the said Scheme for and upto a period of 3 years from 1-3-89 to 29-2-92.

SCHEDULE II

1. The employer in relation to each of the said establishment (hereinafter referred to as the employer) shall submit such returns to the Regional Provident Fund Commissioner concerned and maintain such accounts and provide such facilities for inspection, as the Central Provident Fund Commissioner may direct from time to time.

2. The employer shall pay such inspection charges as the Central Government may, from time to time direct under clause (a) of sub-Section (3A) of Section 17 of the said Act, within 15 days from the close of every month.

3. All expenses involved in the administration of the Group Insurance Scheme, including maintenance of accounts, submission of returns, payment of insurance premia, transfer of accounts, payment of inspection charges etc. shall be borne by the employer.

4. The employer shall display on the Notice Board of the establishment, a copy of the rules of the Group Insurance Scheme as approved by the Central Government/ Central Provident Fund Commissioner as and when amended, alongwith translation of the salient features thereof in the language of the majority of the employees.

5. Whereas an employee, who is already a member of the Employees' Provident Fund or the Provident Fund of an establishment exempted under the said Act, if employed in his establishment the employer shall immediately admit him as a member of the Group Insurance Scheme and pay necessary premium in respect of him to the Life Insurance Corporation of India.

6. The employer shall arrange to enhance the benefits available to the employees under the Group Insurance Scheme appropriately if the benefits available to the employees under the said Scheme are enhanced so that the benefits available under the Group Insurance Scheme are more favourable to the employees than the benefits admissible under the said Scheme.

7. Notwithstanding anything contained in the Group Insurance Scheme, if on the death of an employee the amounts payable under the Scheme be less than the amount that would be payable had the employees been covered under th said Scheme, the employer shall pay the difference to the nominee(s)/legal heir(s) of the employee as compensation.

8. No amendment of the provisions of the Group Insurance Scheme shall be made without the prior approval of the Regional Provident Fund Commissioner concerned and where any amendment is likely to effect adversely the interest of the employees' his approval, give a reasonable opportunity to the employee to explain their point of view.

9. Where for any reason, the employee of the said establishment do not remain covered under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India as already adopted by the said establishment, or the benefits to the employees under this scheme are reduced in any manner, the exemption shall be liable to be cancelled.

10. Where for any reason, the employer fails to pay the premium etc. within the due date, as fixed by the Life Insurance Corporation of India, and the policy is allowed to lapse, the exemption shall be liable to be cancelled.

11. In case of default, if any made by the employer in payment of premium the responsibility for payment of assurance benefits to the nominee(s)/legal heir(s) of deceased member who would have been covered under the said scheme but for grant of this exemption, shall be that of the employer.

12. Upon the death of the member covered under the Group Insurance Scheme the Life Insurance Corporation of of India shall ensure prompt payment of the sum assured to the nominee(s)/Legal heir(s) of the deceased member entitled for it and in any case within one month from the receipt of claims complete in all respect.

The 1st May 1992

No. 2/1959/DLI/Exemp./89/Pt.I/1643.—WHEREAS the employers of the establishments mentioned in Schedule-I (hereinafter referred to as the said establishments) have applied for exemption under Sub-Section 2(A) of Section 17 of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952) (hereinafter referred to as the said Act).

AND WHEREAS, I, B. N. SOM, Central Provident Fund Commissioner is satisfied that the employees of the said establishment are, without making any separate contribution or payment of premium, in enjoyment of benefits under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India in the nature of Life Insurance which are more favourable to such employees than the benefits admissible under the Employees' Deposit Linked Insurance Scheme 1976 (hereinafter referred to as the said Scheme) :

NOW, THEREFORE, in exercise of the power conferred by sub-Section (2A) of Section 17 of the said Act and subject to the conditions specified in Schedule II annexed hereto, I, B. N SOM, hereby exempt each of the said mentioned in Schedule-I against each from which date relaxation order under para 28(7) of the said Scheme has been granted by the R.P.F.C. Madras from the operation of the said scheme for a period of 3 years.

SCHEDULE-I

S.No.	Name & Address of the establishment	Code No.	Effective date of exemption	C.P.F.C.s' File No.
1.	M/s. Hindustan Teleprinters Ltd., G.S.T. Road, Guindy, Madras-32.	TN/2831	1-5-89 to 30-4-92	2/4058/92
2.	M/s. Sheet Metal Industries C-12, Industrial Estate, Guindy, Madras-32.	TN/19277	1-3-88 to 28-2-91	2/4059/92
3.	M/s. Andhra Prabha(P))Ltd., Express Estates, Mount Road, Madras-2..	TN/23152	1-4-91 to 31-3-94	2/4060/92
4.	M/s. E.I.D. Parrej Ltd., Fertilizer Mixing Unit, Katpadi Road, Katapadi.	TN/5565	1-11-89 to 30-10-92	2/4079/92
5.	M/s. Swastic Engineering Company, 5, M.K.N. Road, Guindy, Madras-32.	TN/5728	1-5-89 to 30-4-92	2/4000/92
6.	M/s. Eswaran and Sons Engineers, Guindy, Madras-32.	TN/8223	1-3-89 to 29-2-92	2/4080/92
7.	M/s. The Institute of Road. Transport Taramani Madras-600113.	TN/10874	1-4-84 to 31-3-87 and 1-4-81 to 31-3-90 and 1-4-90 to 31-3-93	2/4081/92